<u>न्यायालय : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बेगमगंज,</u>

<u>जिला–रायसेन (म.प्र.)</u>

(समक्ष : अरविन्द रघुवंशी)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक : 08/2018

संस्थित दिनॉक : 09-01-2018

सी.आई.एस.नं. सीआरआर/1/2018

उमरअली पिता रईस अली, आयु 27 वर्ष,
निवासी वार्ड नं. 8 साई मंदिर पानी बाग राहतगढ,
तहसील राहतगढ, जिला सागर (म.प्र.)

– – – – –पुनरीक्षणकर्ता

:: **<u>बनाम</u>** ::

जरीना बी पत्नी उमर अली पुत्री चांदअली, आयु 22 वर्ष,
निवासी व्यवसाय लेडीज टेलर, वर्तमान निवासी हदाईपुर
मोहल्ला वार्ड क्र. 16 बेगमगंज, जिला–रायसेन (म.प्र.)

– – – – – गैरपुनरीक्षणकर्ता

उपस्थिति में :

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री जहॉजेब अधिवक्ता।
गैर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री आर.एन. रावत अधिवक्ता।

:: **आदेश** ::

(आज दिनॉक 12-07-2018 को खुले न्यायालय में पारित)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गैरतगंज, जिला–रायसेन (श्री आशीष परसाई) द्वारा विविध दाण्डिक प्रकरण क्र. 60/17 में पारित आदेश दिनॉक 07.11.2017, जिसके द्वारा गैरपुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे अत्र पश्चात् 'संहिता' कहा जायेगा) की धारा 125 के अंतर्गत 700 रूपये प्रतिमाह अंतरिम भरण–पोषण भत्ता स्वीकृत किया गया है, की वैधता एवं शुद्धता को इस पुनरीक्षण याचिका में चुनौती दी गई है।

2. पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु सुसंगत तथ्य–स्थिति निम्नवत है :–

अनावेदिका ने स्वयं के लिये 15,000/–रूपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ता 'संहिता' की धारा 125 के अंतर्गत पुनरीक्षणकर्ता से दिलाये जाने हेतु याचिका इन अभिकथनों के आधार पर प्रस्तुत की है कि दिनांक 03 मई 2016 को पुनरीक्षणकर्ता से उसका निकाह हुआ था, विवाह के पश्चात से ही पुनरीक्षणकर्ता व उसके परिवार वालों द्वारा 30,000/–रूपये एवं मोटर साईकिल की दहेज की मांग की थी, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना राहतगढ में की, जिसपर पुनरीक्षणकर्ता एवं उसकी मॉ के विरूद्व अपराध दर्ज हुआ था। पुनरीक्षणकर्ता एवं उसके रिश्तेदारों ने मिलकर डरा धमकाकर अनावेदिका को अपने साथ रखकर पालन पोषण का वायदा करके राजीनामा करवा लिया। इसके पश्चात पुनः अनावेदिका से दहेज में मोटर साईकिल एवं दो लाख रूपये की मांग करने लगे, जिसके संबंध में थाना राहतगढ में दिनांक 27.08.17 को वह शिकायत करने गयी तो पुनरीक्षणकर्ता व उसके रिश्तेदारों ने आकर वहॉ पहुच गये और अनावेदिका को डरा धमकाकर भगा दिया। व अनावेदिका को मारने की भी धमकी दी। दिनांक 29.08.17 को पुनरीक्षणकर्ता ने अन्य व्यक्ति के साथ आकर अनावेदिका एवं उसके पिता से गाली गलोच की व जान से मारने की धमकी दी तथा दहेज में मोटर साईकिल व पैसा नहीं देने पर तलाक देकर दूसरा निकाह करने की भी धमकी दी। अनावेदिका के साथ उसके ससुराल में काफी मारपीट की जाती थी व खाने पीने को नहीं दिया जाता था, जिससे वह परेशान हो गयी। उसका समस्त स्त्रीधन छीनकर उसे भगा दिया गया। वह मायके वालों पर तभी से बोझ बनी हुई है। अनावेदिका के साथ शारीरिक व मानसिक रूप से उसके ससुराल में क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया। अनावेदिका के मायके वाले की ऐसी हैसियत नहीं है कि वे स्वयं के परिवार के साथ वे अनावेदिका का भी भरण पोषण करें, पुनरीक्षणकर्ता मिस्त्रीगिरी एवं बीड़ी बैचने का व घोडा बैचने का कार्य करता है, जिससे उसे प्रतिवर्ष करीब 7 लाख 50 हजार रूपये की आय हो जाती है। अनावेदिका कोई कार्य नहीं जानती है, उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। अतएव भरण पोषण हेत उसे 15,000/–रूपये की सहायता दिलाने का निवेदन किया गया है।

3. पुनरीक्षणकर्ता ने उक्त अभिकथनों को अस्वीकार करते हुये याचिका का विरोध किया। व अपने विशेष कथन में बताया है कि शादी के पश्चात से ही अनावेदिका पुनरीक्षणकर्ता से उसके मॉ बाप से पृथक रहने को कहती थी, खाना पीना नहीं बनाती एवं पुनरीक्षणकर्ता के साथ गाली गलोच करती थी व अपशब्द कहती थी। अनावेदिका के कहने पर पुनरीक्षणकर्ता दो माह तक एम.डी. के यहॉ रहा। अनावेदिका ने वहॉ भी

पुनरीक्षणकर्ता का ध्यान नहीं रखा और मोवाईल पर घन्टों बाते करती। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अनावेदिका के माता पिता से शिकायत करने पर उन्होंने पुनरीक्षणकर्ता के साथ मारपीट की व दहेज प्रताडना का झूठा अपराध कायम करा दिया, जिसमें न्यायालय द्वारा भी उसे दोषमुक्त कर दिया गया है। अनावेदिका उसके भाई के साथ 06 माह पहले मायके चले गयी है। कई बार उसे लेने वह तथा उसके रिश्तेदार गये, परन्तु वह नहीं आयी। परिवार परामर्श केन्द्र में भी इस हेतु आवेदन दिया। पुनरीक्षकर्ता मजदूर है, उसकी कोई आय नहीं है। जबकि अनावेदिका टेलरिंग का कार्य करके लगभग 1500/–रूपये प्रति सप्ताह तक कमा लेती है। उसने स्वेच्छया से पुनरीक्षणकर्ता का त्याग कर रखा है। इसलिये आवेदन पत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।

4. अनावेदिका द्वारा उक्त आवेदन के साथ ही एक अंतरिम भरण पोषण आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसके आवेदन पत्र के निराकरण में समय लगने की संभावना है। इसलिये प्रकरण के निराकरण तक अंतरिम भरण पोषण हेतु 15,000/–रूपये की राशि प्रतिमाह दिलाये जाने का निवेदन किया है, जिसका पुनरीक्षणकर्ता की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया है।

5. अनावेदिका द्वारा अंतरिम निर्वाह भत्ते हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार कर विद्वान विचारण मजिस्ट्रेट ने आलोच्य आदेश पारित किया।

6. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उक्त प्रकरण में आलौच्य आदेश को इन आधारों पर चुनौती दी गयी है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधि की इस सिद्वांत की ओर ध्यान नहीं दिया कि प्रथम दृष्टया बिलफूलनेगलेड रिफ्यूजन किस पक्ष की ओर से पुनरीक्षणकर्ता की आय एवं किस पक्षकार द्व ारा परित्याग कर रखा है, का आलौच्य आदेश में कोई उल्लेख ही नहीं किया है। आवेदन पत्र में अंतरिम भरण पोषण हेतु कोई आधार भी नहीं बताये गये है, न ही कोई शपथ पत्र पेश किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता ने परिवार परामर्श केन्द्र में भी आवेदन पेश किया था, जिसमें अनावेदिका ने स्वेच्छया से मायके में रहना बताया है। अतः अलौच्य आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया है।

7. प्रत्यर्थी/अनावेदिका की ओर से यह तर्क किया गया है कि आलोच्य आदेश द्वारा भरण–पोषण के संबंध में विद्वान विचारण मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया गया है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गयी है। पुनरीक्षण सारहीन है अतः उसे निरस्त किया जाये।

8. उभय पक्ष के तर्क सुने एवं मूल अभिलेख का परिशीलन किया।

विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

''क्या उपरोक्तानुसार भरण–पोषण भत्ता दिलाये जाने संबंधी विद्वान विचारण मजिस्ट्रेट का आदेश अशुद्ध, अवैधाकि अथवा अनौचित्यपूर्ण है ?

9. जैसा कि न्याय दृष्टांत **जागीर कौर विरूद्ध जसवंत सिंह, 1963 ए.आई.आर. (एस.सी.)–521** में अभिनिर्धारित किया गया है कि 'संहिता' की धारा 125 के अंतर्गत सम्पादित की जाने वाली कार्यवाहियॉ व्यवहार प्रकृति की संक्षिप्त स्वरूप की होती है, जिनका उद्देश्य असहाय व्यक्तियों को तात्कालिक सहायता पहुॅचाने का है, ताकि उन्हें जीवन यापन के लिये सड़क पर न भटकना पड़े। ऐसे मामलों में प्रमाण भार उतना कठोर नहीं होता है, जितना कि दाण्डिक मामलों में होता है, अपितु साक्ष्य बाहुल्यता एवं अधि–संभावनाओं की प्रबलताओं के आधार पर निष्कर्ष अभिलिखित किये जाने चाहिये।

10. जहॉ तक पति के साधन सम्पन होने का संबंध है, न्याय दृष्टांत **चंद्रप्रकाश विरूद्ध शीलारानी, ए.आई.आर. 1961 (दिल्ली)–174,** जिसका संदर्भ न्याय दृष्टांत **दुर्गासिंह लोधी विरूद्ध प्रेमबाई, 1990 एम. पी.एल.जे.–332** में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा किया गया है, में यह सुस्पष्ट प्रतिपादन किया गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के बारे में, जो अन्यथा शारीरिक रूप से अक्षम नहीं है, यह माना जायेगा कि वह अपनी पत्नी तथा बच्चों के भरण–पोषण के लिये सक्षम है तथा ऐसे व्यक्ति पर भरण–पोषण हेतु उत्तरदायित्व अधिरोपित किया जाना विधि सम्मत है, भले ही प्रमाणित न हुआ हो कि उसकी वास्तविक आमदनी क्या है।

11. अनावेदिका द्वारा अपने अभिकथनों के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। अभिलेख से यह प्रकट होता है कि पुनरीक्षणकर्ता ने थाना प्रभारी महिला थाना सागर के समक्ष परिवार परामर्श केन्द्र में आवेदन पत्र पेश किया था, जिसमें अनावेदिका द्वारा इस आशय का कथन दिया गया था कि वह उसके पति के साथ अलग रहना चाहती है, परन्तु उसका पति अलग नहीं रहना चाहता। जबकि दूसरी और अनावेदिका द्वारा पुनरीक्षणकर्ता व उसकी मॉ के विरूद्व दहेज प्रताडना व मारपीट के संबंध में आरक्षी केन्द्र राहतगढ में शिकायत दर्ज करायी थी, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्र0श्रे0 सागर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.17 में पुनरीक्षणकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया है। उक्त निर्णय जो कि अपराध क्रमांक 4703876/2016 में पारित किया गया है, कि छाया प्रति से दर्शित होता है कि इसमें अनावेदिका

द्वारा राजीनामा हो जाने के कारण पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में कथन दिये गये थे।

12. उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर विद्वान विचारण मजिस्ट्रेट ने अपने विवेकाधिकार के अंतर्गत अंतरिम निर्वाह भत्ता दिलाने हेतु आलोच्य आदेश पारित किया है। पुनरीक्षणकर्ता एक स्वस्थ नवयुवक है, ऐसी दशा में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि सामान्य श्रम से भी वह लगभग 5000 रू. प्रतिमाह उपार्जित कर लेता होगा। पत्नी के निर्वाह का प्राथमिक दायित्व पुनरीक्षणकर्ता का है, दोनों पक्षों के मध्य विवाद के कारण अनावेदिका पुनरीक्षणकर्ता से पृथक रह रही है, यह स्थिति विवादित नहीं है। ऐसी स्थिति में अनावेदिका को अंतरिम भरण–पोषण मात्र 700/–रूपये की राशि दिलाये जाने हेतु पारित उक्त आदेश को अशुद्ध, अवैधानिक अथवा अनौचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

13. जहॉ तक पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत **न्याय दृष्टांत रेणु विरूद्व हीरालाल 2002 '3' एम.पी.एल.जे. 320** का प्रश्न है, उक्त मामले में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दाम्पत्य अधिकारों की स्थापना की अज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात भी अनावेदिका उसके साथ रहने तत्पर नहीं हुई, इस कारण पुनरीक्षणकर्ता को अनावेदिका के भरण पोषण हेतु दायित्वाधीन नहीं माना गया था। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थितियॉ नहीं है। इसलिये न्याय दृष्टांत से पुनरीक्षणकर्ता को कोई लाभ भी प्राप्त नहीं होता है।

14. परिणामतः यह पुनरीक्षण याचिका सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है।

15. आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जाये।

मेरे बोलने पर टंकित किया। आज दिनांक 12–07–2018 को

सही/– पारित। सही/–

(अरविंद रघुवंशी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
बेगमगंज, जिला–रायसेन (म0प्र0)

(अरविंद रघुवंशी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
बेगमगंज, जिला–रायसेन (म0प्र0)